न्यायालय सिविल जज (जू0 डि0), रामसनेहीघाट, कोर्ट नं0–14, बाराबंकी।

मूलवाद संख्या–76/2016

CNR No. UPBB180000902016

जगदीश प्रसाद तिवारी बनाम राम सुख तिवारी आदि

01.04.2022

प्रार्थना पत्र ग–24 मय शपथ पत्र प्रार्थी/ प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी बसिलसिले रोज़गार बाहर रहते हैं जिस कारण प्रार्थीजन को उक्त वाद के बावत कोई सम्मन या नोटिस या सूचना किसी भी प्रकार से न तो मिली न उन पर ताकील हुई। उनको अफवाहान मालूम हुआ कि वादी ने उनके विरुद्ध कोई वाद न्यायालय पर दाखिल किया है जो विचाराधीन है और उसमें एक पक्षीय कार्यवाही का भी आदेश पारित हो चुका है। तब प्रार्थी भागकर कचेहरी आये अपना वकील करके जानकारी हासिल की तो पता चला कि वादी ने उनके विरुद्ध वाद स्थायी निषेधाज्ञा का दायर किया है जिसमें दिनांक 17–11–2017 को प्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने का आदेश पारित कर दिया गया है और वाद में एकपक्षीय कार्यवाही विरुद्ध प्रार्थी चल रही है। प्रार्थी बाद जानकारी एक पक्षीय आदेश बिना विलम्ब के यह प्रार्थना पत्र दे रहे हैं। गलती अनुपस्थित की जान बूझकर नहीं बल्कि उक्त कारण से है जो काबिल माफ़ी है। आदेश दिनांक 17–11–2017 के बने रहने से प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति हो रही है जिसका निरस्त कर सुनवाई का अवसर देकर वाद गुण दोष के आधार पर निस्तारित किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र देने में देरी जानबूझकर नहीं की है बल्कि उक्त कारण है जो काबिल माफ़ी है और धारा 5 कानून मियाद अधिनियम का लाभ पाने का अधिकारी है यदि प्रार्थी को मियाद अधिनियम की धारा 5 का लाभ देकर एकपक्षीय कार्यवाही आदेश दिनांक 17–11–2017 को निरस्त कर वाद में सुनवाई का अवसर देकर वाद का निस्तारण गुण–दोष के आधार पर न किया गया तो प्रार्थी न्याय पाने से वंचित हो जाएगा और अपूर्णीय क्षति होगी। अतः, प्रार्थना की गयी है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को समय सीमा के अंदर स्वीकार कर आदेश दिनांक 17–11–2017 को निरस्त कर वाद में प्रार्थी को सुनवाई का अवसर देकर वाद का निस्तारण गुण–दोष के आधार पर किये जाने की कृपा की जाए जिससे न्याय हो सके।

उक्त के विरुद्ध वादी के विद्वान अधिवक्ता ने भारी हर्ज़े हेतु आपत्ति का पृष्ठांकन व कथन किया है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ***Ram Suman Pandey & 14 Ors. v. Smt. Guddi Devi & Anr.*** **Civil Revision No. 6 of 2006** में अवधारित किया कि–

"*[t]he settled provisions of law in regard to provisions of Order IX Rule 7 CPC is to the affect that when defendant appears and assigns good cause for his previous non-appearance he may, upon such terms as the Court directs*

as to costs or otherwise, be allowed to be heard and answer to the suit as if he had appeared on the day, fixed for his appearance. So far as the good cause and sufficient cause for non-appearance is concerned, the said words has been interpreted by the Hon'ble the Supreme Court in the case of Sangram Singh Vs. Election Tribunal, Kotah, 1955 AIR (SC) 425, as under:-

"Next, there must be ever present to the mind the fact that our laws of procedure are grounded on a principle of natural justice which requires that men should not be condemned unheard, that decisions should not be reached behind their backs, that proceedings that affect their lives and property should not continue in their absence and that they should not be precluded from participating in them. Of course, there must be exceptions and where they are clearly defined they must be given effect to. But taken by and large, and subject to that proviso, our laws of procedure should be construed, wherever that is reasonably possible, in the light of that principle.

The existence of such a principle has been doubted, and in any event was condemned as unworkable and impractical by O'Sullivan, J. in Hariram v. Pribhdas(1). He regarded it as an indeterminate term "liable to cause misconception" and his views were shared by Wanchoo, C. J. and Bapna, J. in Rajasthan: Sewa Ram v. Misrimal(1). But that a law of natural justice exists in the sense that a party must be heard in a Court of law, or at any rate be afforded an opportunity to appear and defend himself, unless there is express provision to the contrary, is, we think, beyond dispute...."It follows that a party should not be deprived of that right and in fact the Court has no option to refuse that right, unless the Code of Civil Procedure deprives him of it"." ***Jagardeo And Ors. vs Mohan Lal And Anr.*** **2005 (4) AWC 3319** में उस प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में मूल वाद के प्रतिवादीजन की 7 साल की अनुपस्थिति थी, किंतु न्यायहित में उन्हें जवाबदावा दाखिल करने व कार्यवाही में भाग लेने का अवसर भारी हर्जे पर प्रदान किया गया।

वर्तमान प्रकरण में प्रार्थी ने मय शपथ पत्र यह कथन किया है कि वह बसिलसिले रोज़गार बाहर रहता है जिस कारण उसको उक्त वाद के बावत कोई सूचना नहीं मिली और उसको अफवाहान मालूम हुआ कि वादी ने उनके विरुद्ध कोई वाद न्यायालय पर दाखिल किया है जो विचाराधीन है और उसमें एक पक्षीय कार्यवाही का भी आदेश पारित हो चुका है। तब प्रार्थी भागकर कचेहरी आये अपना वकील करके जानकारी हासिल की तो पता चला कि वादी ने उनके विरुद्ध वाद स्थायी निषेधाज्ञा का दायर किया है जिसमें दिनांक 17-11-2017 को प्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने का आदेश पारित कर दिया गया है और वाद में एकपक्षीय कार्यवाही विरुद्ध प्रार्थी चल रही है। प्रार्थी बाद जानकारी एक पक्षीय आदेश बिना विलम्ब के यह प्रार्थना पत्र दे रहे हैं। गलती अनुपस्थित की जान बूझकर नहीं है जो काबिल माफ़ी है। आदेश दिनांक 17-11-2017 के बने रहने से प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति हो रही है जिसका निरस्त कर सुनवाई का अवसर देकर वाद गुण दोष के आधार पर निस्तारित किया जाना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि आदेश दिनांकित 17-11-2017 से पहले प्रतिवादी संख्या 1 के हस्ताक्षर आदेश पत्र पर अंकित हैं (किन्तु उनकी ओर से कोई वकालतनामा

नहीं प्रस्तुत किया गया था) और प्रतिवादी संख्या 2 पर हुई सम्मन आख्या क–18 से विदित होता है कि प्रतिवादी संख्या 2 पर भी ज़रिये व्यक्तिगत तामील, तामीला पर्याप्त है। जब प्रार्थी/ प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 28.08.2020 को प्रस्तुत किया गया, तब पत्रावली की कार्यवाही एक पक्षीय बहस हेतु नियत थी। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि यथासम्भव वाद का निस्तारण गुण–दोष के आधार पर एवं उभय पक्षों को सुनवायी का अवसर देकर करना न्यायोचित होता है। जहां तातविक न्याय व प्रक्रियात्मक न्याय में से एक को चुनना हो वहाँ तातविक न्याय को वरीयता दी जानी चाहिए। उक्त के प्रकाश में व प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र में किए गए कथन के आधार पर, एक पक्षीय कार्यवाही हेतु किए गए आदेश को प्रार्थी के सम्बंध में अपास्त करने के आधार पर्याप्त प्रतीत होते हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि उक्त प्रार्थना पत्र प्रश्नगत आदेश के 3 वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया है। वादी को हुई हानि की पूर्ति हर्जे से की जा सकती है। अतः, प्रार्थना पत्र ग–24 हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र ग–24 मु० 250/– हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। हर्जा अदायगी उपरान्त आदेश दिनांकित 17–11–2017 प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 के संबंध में अपास्त समझा जाएगा।

पत्रावली वास्ते जवाबदावा/तन्क़ीह/आपत्ति/निस्तारण ग–6 दिनांक 06.05.2022 को पेश हो।

(अनुजया कृष्णा)
सिविल जज (जू0 डि0),
रामसनेहीघाट, कोर्ट नं0 14,
बाराबंकी।